KOVID-19

अति आवश्यक/ई–मेल

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33(2)गृह–9/2019 पार्ट जयपुर, दिनांक : 30 JUL 2020

पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर,
समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः– ईद के त्यौहार पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत चांद दिखाई देने पर (Subject to sighting of moon) दिनांक 01.08.2020 को ईद–उल–जुहा (बकरीद) का त्यौहार मनाया जायेगा। वर्तमान में कोविड–19 (कोरोना वायरस) के फैलाव एवं प्रकोप के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर लॉकडाउन लागू है एवं कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए ईद के त्यौहार के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए पर्याप्त सावधानी एवं ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में जारी "मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)" की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रचालन पर निगरानी रखी जावें तथा आपत्तिजनक सामग्री पाये जाने पर शीघ्र कार्यवाही करते हुये ब्लॉक/हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
30/7/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, इंटेलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, गृह मंत्रालय (आई.एस.–1 डिवीजन, एन.आई.। अनुभाग) एमडीसी नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली–110001 को उनके पत्रांकः 14011/01/2020–एनआई। (पीटी) दिनांक 28.07.2020 के क्रम में।
6. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. मीना)
शासन सचिव